डाक पंजी. क्र. ग्वालियर डिवीजन
एम.पी.-19- ग्वालियर-2011-13

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2012-ज्येष्ठ 18, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, भोपाल-462011

भोपाल, दिनांक 31 मई, 2012

क्र. 375/का.यं./स.क्र.-10/भोविप्रा/12.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा-50 (2) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह घोषित किया जाता है, कि भोपाल विकास प्राधिकरण, ग्राम-मुबारकपुर एवं ग्राम कुराना, नरसिंहगढ़, सीहोर वायपास रोड एवं नरसिंहगढ़ रोड की निम्नलिखित निजी भूमि के सम्बन्ध में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है.

तदानुसार योजना की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

पूर्व दिशा में	:	ग्राम-मुबारकपुर खसरा क्र.-	सीहोर वायपास रोड 206, 206/3, 199/3, 181, 183/1/4/2, नरसिंहगढ़ रोड 177, 173/3, 174/3, 175/3, 178 ख.
		ग्राम-कुराना खसरा क्र.-	272 मार्ग 269.
पश्चिम दिशा में	:	ग्राम-मुबारकपुर खसरा क्र.-	208, 209/2, 205/1, 203, 202/2/2, 204, नरसिंहगढ़ रोड 164, 165, 166/3, 167/2, 162.
		ग्राम-कुराना खसरा क्र.-	254, 253.
उत्तर दिशा में	:	ग्राम-मुबारकपुर खसरा क्र.-	272 मार्ग.
		ग्राम-कुराना खसरा क्र.-	254, 255, 258, 237, 236, 247 (नाला) 269.
दक्षिण दिशा में	:	ग्राम-मुबारकपुर खसरा क्र.-	208, 209/2, 207, 234, 206/1, 206, 200, 201, 288, 202/3, 199/1/1, 199/1/3, 199/1/5, 199/2, 199/3, 184, 181, 183/1, 181, 183/2/5/1, 181, 183/1/4/2, नरसिंहगढ़ रोड.

योजना प्रारम्भ करने की स्वीकृति शासन द्वारा पत्र क्र. 3-41/09/32-1, भोपाल दिनांक 8-5-2012 से दी गई.

कुमार पुरूषोत्तम,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा नाम 10वीं की मार्कशीट में **DEVARAG SINGH KUSHWAH S/o GAMBHIR SINGH KUSHWAH** तथा 12वीं मार्कशीट में **DEVRAJ SINGH KUSHWAH** है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, अब मैं **DEVRAJ SINGH KUSHWAH** नाम चाहता हूँ और सब मुझे इसी नाम से जाने.

पुराना नाम :

(DEVARAG SINGH KUSHWAH)

नया नाम :

(DEVRAJ SINGH KUSHWAH)
पता—C/o Rakesh Tailor,
Naka Chandravandni Tiraha,
Lashkar, Gwalior (M.P.).

(49-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम राजेश माहेश्वरी/राजेश कुमार माहेश्वरी पिता जानकीलाल माहेश्वरी था, जो अब परिवर्तित होकर राजेश मालपानी पिता जानकीलाल माहेश्वरी हो गया है.

अत: भविष्य में मुझे मेरे नये नाम राजेश मालपानी पिता जानकीलाल माहेश्वरी के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(राजेश माहेश्वरी)

नया नाम :

(राजेश मालपानी)
पिता जानकीलाल माहेश्वरी,
पता— 7/1/एफ, वाय. एन. रोड,
इन्दौर (म. प्र.).

(52-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, जरीन ने अपना नाम परिवर्तन कर जहाबिया कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(जरीन)

नया नाम :

(जहाबिया)
22, छत्री चौक, गोपाल मंदिर मार्ग,
उज्जैन (म. प्र.).

(50-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक ने अपने नाम के साथ उपनाम का प्रयोग कर अशोक हम्मड़ कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(अशोक)

नया नाम :

(अशोक हम्मड़)
14, ग्राम टोंकी, जिला धार (म.प्र.).

(51-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, आशा बलवानी ने अपना नाम परिवर्तन कर हेमा बलवानी कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(आशा बलवानी)

नया नाम :

(हेमा बलवानी)
43, काटजू कॉलोनी, इन्दौर.

(54-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 9 अप्रैल, 2012

क्र./महामारी/2012/2600.—नीमच जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, डेंगू के फैलाव की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन संदर्भित बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त किये जावें.

अतः मैं, लोकेशकुमार जाटव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच, मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा विनियमन नियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला नीमच को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ तथा आदेश देता हूँ कि:—

क— अधिसूचित क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों आदि के लिये खाद्य एवं पेयजल सामग्री निर्माण करने या उससे निर्माण कर प्रदाय करने के लिये कायम की गई स्थापना में अथवा विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर—

1. बासी मिठाईयों सड़े-गले फल, सब्जियां, मछली, अण्डे, दूषित खाद्य पदार्थों के बेचने पर प्रतिबंध लगाया जावे.
2. कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पेय पदार्थ, खुले स्थान / बाजार में जालीदार ढक्कन ढककर रखे जावें, महामारी फैलने पर इसकी बिक्री पर पाबन्दी लगाई जावे.
3. नालियाँ, गटरों, पानी के गड्ढ़ों, मलकुण्ड, कूड़ा-करकट आदि गंदगी वाले स्थानों को स्वच्छ रखा जावे तथा रोगाणुनाशक पदार्थ से नियमित सफाई की जावे.
4. मक्खियाँ, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाया जावे.
5. नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था के अन्तर्गत टंकी की समय-समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिये काम में लाई जावे.
6. ग्रामीण क्षेत्रों में नाले, तालाब, अस्वच्छ कुओं व बावड़ियों का पानी पीने के काम में नहीं लाया जावे, हैण्डपम्प का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जावे. ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्त्रोतों की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्धिकरण पश्चात् जल का उपयोग किया जावे.
7. धर्मशालाओं, सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं व धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अपने परिसर स्थित पेयजल टंकी की नियमित सफाई व शुद्धिकरण किया जावे.

ख— इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूँचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के पैरा ''क'' के बिन्दु क्रमांक-1 में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जावेगा.

ग— इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टॉल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच-पड़ताल करने, निरीक्षण करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तुएं एवं मानव उपयोग के अभिप्रेरित है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है, तो उन अस्वास्थ्यकर, दूषित, अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने या नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से

रोकी जा सके, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ.—

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच.
2. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला नीमच.
3. ऐसे समस्त शासकीय चिकित्सक पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सक के पद से नीचे न हो.
4. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, समस्त.
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, समस्त.
7. राजस्व निरीक्षक समस्त तहसील जिला नीमच.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, घरों के गड्ढों, पोखरों, मल संडास, संक्रमित वस्तुओं, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाते समय उस स्थान को स्वच्छ व रोगाणु रहित करने हेतु निवर्तन अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से संबंधित आदेश दे सकेंगे.

उक्त आदेश का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय द्वारा सुसंगत प्रावधानों के तहत किया जावेगा.

संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्थाओं/प्रतिष्ठानों द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी, जो अन्य आर्थिक दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जावेगी.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा.

लोकेशकुमार जाटव,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

(263)

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 23 मई, 2012

क्र. जी.बी./दो(58/62) 2012/1817.—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल में पंजीकृत मुद्रकों से जो कॉलम क्रमांक-5 में निर्धारित अर्हता की पूर्ति करते हों से निम्न सामग्री के मुद्रण हेतु पेपर सहित सीलबंद लिफाफे में दरें आमंत्रित की जाती हैं. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी रुपये 1000/- का बैंक ड्राफ्ट नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल के पक्ष में तैयार कर संलग्न करना होगा. नमूनों का अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जा सकता है:—

स. क्र.	सामग्री का विवरण	मापदण्ड	मात्रा	अर्हता
1	2	3	4	5
1.	(1) ग्रोथ चार्ट रजिस्टर (बालक) (2) ग्रोथ चार्ट रजिस्टर (बालिका)	सम्पूर्ण कार्य बहुरंगी, आकार 33.2 × 28 सेमी., कुल पेज संख्या 110 कव्हर पेज अतिरिक्त, अन्दर के पृष्ठ 90 जीएसएम. मेपलिथो पेपर, आवरण पृष्ठ 300 जीएसएम. आर्ट पेपर पर लेमिनेशन सहित, साईड स्टिचिग के साथ परफेक्ट बाईडिंग.	(1) 1,02,000 (2) 1,02,000	"ए" श्रेणी के पंजीकृत मुद्रक जिनके पास मल्टीकलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन एवं परफेक्ट बाईण्डर की सुविधा उपलब्ध हो.

1	2	3	4	5
2.	(1) सबला रजिस्टर	सम्पूर्ण कार्य ब्लैक एण्ड व्हाइट, आकार 44 × 28.5 सेमी. कुल पेज संख्या 216 कव्हर पेज अतिरिक्त, अन्दर के पृष्ठ 70 जीएसएम. मेपलिथो पेपर आवरण पृष्ठ 300 जीएसएम. आर्ट पेपर पर लेमिनेशन सहित साईड स्टिचिंग के साथ परफेक्ट बाईडिंग.	27,000	''ए'' श्रेणी में पंजीकृत मुद्रक जिनके पास परफेक्ट बाईण्डर की सुविधा उपलब्ध हो.
	(2) किशोरी कार्ड	सम्पूर्ण कार्य बहुरंगी, आकार 42 × 29 सेमी., 140 जीएसएम. मेपलिथो पेपर पर, दो फोल्ड के साथ.	12,00,000	''ए'' श्रेणी के पंजीकृत मुद्रक जिनके पास मल्टीकलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन उपलब्ध हो.
	(3) प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेट (सबला योजना)	सम्पूर्ण कार्य बहुरंगी, आकार 29 × 21 सेमी., 90 जीएसएम. आर्ट पेपर पर, दो फोल्ड के साथ.	20,00,000	''ए'' श्रेणी के पंजीकृत मुद्रक जिनके पास मल्टीकलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन उपलब्ध हो.

विभाग द्वारा प्रेषित नमूने, तकनीकी विवरण एवं शर्तें कार्यालयीन समय में देखी जा सकती हैं.

पंजीकृत फर्म अपने वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न कर अपने लेटर हैड पर पेपर सहित मुद्रण हेतु दरें दिनांक 23 जून, 2012 को दोपहर 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्थापित मशीनों के प्रमाण स्वरूप मशीन क्रय देयक की छायाप्रति, पेपर नमूनों एवं शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर अंकित कर उसके साथ प्रस्तुत करना होगा. विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा. निविदा उसी दिनांक को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी.

इस निविदा सूचना को वेबसाइट **www.tenders.gov.in** एवं **www.govtpressmp.nic.in** पर भी देखा जा सकता है.

किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक को होगा.

व्ही. के. सिंह,
उप-नियंत्रक,
वास्ते नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल.

(264)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, पिछोर, जिला शिवपुरी

पिछोर, दिनांक 14 मई, 2012

प्र. क्र./01/2011-12/बी-113.

फॉर्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)
और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि श्री मन्नूलाल गेड़ा (अध्यक्ष गहोई समाज), निवासी पिछोर द्वारा श्री कमलेश्वर मंदिर समिति करारखेड़ा के विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 के तहत प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन दिनांक 28 मई, 2012 सुनवाई हेतु नियत है.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और इस न्यास के संबंध में कोई आक्षेप प्रस्तुत करना चाहता हो या सुझाव देना चाहता हो वह इस अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करें तथा नियत दिनांक को स्वयं या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होवें. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा लोक न्यास की चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा)

1.	न्यास का नाम . .	श्री श्री 1008 श्री कमलेश्वर मंदिर ट्रस्ट ग्राम करारखेड़ा, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश.
2.	मूर्तियाँ . .	1. श्री श्री 1008 कमलेश्वर महादेव (भोलानाथ) 2. श्री श्री 1008 श्री कमलेश्वर महादेव (शिवलिंग) 3. श्री नन्दीगण, 4. श्री नागदेवता. 5. श्री शिव पार्वती, गणेश (सभी एक-एक आकार के)
3.	घण्टे	1. घण्टा बड़ा वजनी लगभग 1 क्विंटल, 2. छोटे घण्टे 10.
4.	अन्य सामग्री	1. पूजा के बर्तन 10, 2. कलश 2, 3. छत्र 1, 4. दीपक 2, 5. पंखे दीवाल फैन 8, 6. बर्तन भगोना 2, बाल्टी 5, कोपर 2, 7. लोटा गिलास आदि 21, 8. तखत 2, फर्स 2, कढ़ाई 1.

उमेश शुक्ला,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(265)

न्यायालय रजिस्ट्रार लोक न्यास एवं उपखण्ड अधिकारी, सिंगरौली, जिला सिंगरौली

वैढ़न, दिनांक 28 मई, 2012

प्र. क्र./02/न्यास/2012.

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक उपखण्ड सिंगरौली, जिला सिंगरौली के समक्ष

यतः कि आवेदक श्री ओंमानन्द सरस्वती पुत्र स्व. तारा प्रसाद मिश्र, नि. भगत सिंह कॉलोनी, सिंगरौली, तहसील व जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक सेवा न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने एवं शासनाधीन चलाये जाने के लिये आवेदन किया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	. .	स्वामी ओंमानन्द सरस्वती पुत्र स्व. तारा प्रसाद मिश्र (श्रृंगि ऋषि सोऽहं धर्मार्थ चैरीटेबल ट्रस्ट)
पता	. .	निवासी भगत सिंह कॉलोनी, सिंगरौली, तहसील व जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश)
सम्पत्ति का विवरण	. .	न्यासकर्ता जो कि ट्रस्ट फण्ड रुपये 2,100 एवं 7 डि. जमीन के पूर्णरूप से स्वामी हैं.

नन्दलाल सामरथ,
पंजीयक एवं उपखण्ड अधिकारी.

(247)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, शिवपुरी

क्र./परि./2012/508.—निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	अ. जा. एवं अ. ज. जा. मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., चिन्नौद (करैरा).	318/22-4-1995	584/13-07-2010	श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, बी. सी. उइके, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(267)

क्र./परि./2012/509.—निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	बीड़ी निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., फूलपुर (नरवर).	--	584/13-07-2010	श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, बी. सी. उइके, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(267-A)

क्र./परि./2012/510.—निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	फल, साग-भाजी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरवर (नरवर).	366/8-12-1995	584/13-07-2010	श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, बी. सी. उइके, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

बी. सी. उइके,
उप-रजिस्ट्रार.

(267-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

निम्नांकित कॉलम नम्बर 1 में दर्शित सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु नियुक्त निर्वाचन अधिकारियों एवं समितियों के प्रभारी अधिकारियों के द्वारा कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं कि समितियां निर्वाचन करवाने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, साथ ही समितियों के आर्थिक रूप से सक्षम हो पाने की संभावना निकट भविष्य में नहीं है, अत: ऐसी दशा में समितियों के निर्वाचन करवाये जाना संभव नहीं हैं.

अत: उक्तानुसार प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त समितियां आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण निर्वाचन कराने हेतु सक्षम नहीं हैं और न ही भविष्य में इसकी संभावना है, ऐसी स्थिति में समितियों की वर्तमान स्थिति को बनाये रखना सहकारी अधिनियम के अनुरूप नहीं होने से निम्न

समितियों को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	दीनदयाल मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, खापाबिहारी	375/10-8-1992
2.	श्री शारदा शिक्षक साख सहकारी समिति मर्यादित, लोधीखेड़ा	148/24-8-1987
3.	कालरी कर्मचारी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, चांदामेटा (अपनी दुकान)	144/22-8-1963

अत: मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें, यदि संस्था इस संबंध में अपना पक्ष समर्थन चाहती है तो वह इस कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. यदि संस्था ने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदानुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जी. एस. डेहरिया,
उप-पंजीयक.

(270)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालय सूचना पत्र क्रमांक/परि./12/168, रायसेन दिनांक 1 मार्च, 2012 द्वारा चर्म एवं हड्डी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 555, दिनांक 18 मार्च, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूंकि संस्था की ओर से नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है तथा उसने कार्य करना बंद कर दिया है, इस प्रकार सदस्यों के हित में कोई कारोबार नहीं संचालित किया जा रहा है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाए जाने का पर्याप्त आधार बनता है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चर्म एवं हड्डी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 555, दिनांक 18 मार्च, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनीत विल्सन तिर्की, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेगमगंज को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह,
उप-पंजीयक.

(271)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

कारण बताओ सूचना-पत्र

होशंगाबाद, दिनांक 25 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/722.—सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर.एच./2926, दिनांक 19 अप्रैल, 2007 है, का गठन कार्यालयीन आदेश क्रमांक/पंजीयन/2007/470, दिनांक 19 अप्रैल, 2007 से किया गया था. उपरोक्त आदेश की कंडिका क्रमांक-3 में यह शर्त थी कि संस्था को पंजीयन दिनांक से 1 वर्ष के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा. परन्तु संस्था के पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक लगभग 5 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद संस्था द्वारा अपना कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है. यहां तक कि संस्था के द्वारा आवश्यक अधिकृत अंशपूंजी 60 करोड़ के विरुद्ध मात्र 26.42 लाख रुपये ही प्रदत्त अंशपूंजी के रूप में एकत्रित किये गये हैं. इससे प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि संस्था के द्वारा युक्तियुक्त समयावधि में न तो कार्य करना प्रारम्भ किया गया है और न ही प्रारम्भ करना संभव है. मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2-क) में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो तो सोसायटी का परिसमापन कर दिया जायेगा.

उपरोक्त वर्णित कारणों से मेरी राय में संस्था को परिसमापन में लाया जाना अपरिहार्य हो गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर.एच./2926, दिनांक 19 अप्रैल, 2007 को यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी करने के 15 दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष में प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अनिल कुमार,
उप-पंजीयक.

(269)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 19 अप्रैल, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/1764.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप पावरलूम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./आय.डी.आर./2334, दिनांक 25 जून, 2007 है, संस्था को पत्रांक 1010 दिनांक 1 मार्च, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक .....दिनांक.....द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा संस्था चलाने में रुचि नहीं दर्शाई इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, महाराणा प्रताप पावरलूम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. आर. सोनी, सी. आई. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(268)

इन्दौर, दिनांक 19 अप्रैल, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/1765.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत नर्मदा अनु. जा. पावरलूम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./आय.डी.आर./2232, दिनांक 14 अगस्त, 2006 है, संस्था को पत्रांक 1009 दिनांक 1 मार्च, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक .....दिनांक.....द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह/एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर नर्मदा अनु. जा. पावरलूम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. आर. सोनी, सी. आई. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवम मिश्रा,
सहायक आयुक्त.

(268-A)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ज़िला रतलाम

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं 18-ए/क के अन्तर्गत]

परिसमापित कंवल का माता फल, साग-सब्जी उत्पा. सह. संस्था मर्या., मून्दडी, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 772, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 340, दिनांक 18 मार्च, 2010 से को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटियां, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

(272)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं 18-ए/क के अन्तर्गत]

परिसमापित प्रगति फल, साग-सब्जी उत्पा. सह. संस्था मर्या., कांउरवासा, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 771, दिनांक 14 दिसम्बर, 2001 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 341, दिनांक 18 मार्च, 2010 से को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटियां, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

(272-A)

रतलाम, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं 18-ए/क के अन्तर्गत]

क्र./परि./12/333/B.—परिसमापित शहीद नरेन्द्र चन्द्रावत खनिज सह. संस्था मर्या., गुणावद, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 746, दिनांक 29 जून, 1999 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1315, दिनांक 8 सितम्बर, 2008 से को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटियां, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

(272-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं 18-ए/क के अन्तर्गत]

परिसमापित गांधी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 441, दिनांक 15 जून, 1987 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 150, दिनांक 5 फरवरी, 2009 से को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटियां, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

(272-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं 18-ए/क के अन्तर्गत]

परिसमापित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अवार्ड स्टॉफ नालन्दा गृ. नि. सह. संस्था मर्या., रतलाम, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 246, दिनांक 31 अक्टूबर, 1979 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 990, दिनांक 29 जुलाई, 2010 से को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटियां, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

(272-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं 18-ए/क के अन्तर्गत]

परिसमापित सप्त सरोवर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 844, दिनांक 9 अप्रैल, 2007 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 77, दिनांक 27 जनवरी, 2012 से को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटियां जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

(272-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं 18-ए/क के अन्तर्गत]

परिसमापित रतलाम पर्यटन विकास सह. संस्था मर्या., रतलाम, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 761, दिनांक 25 जनवरी, 2001 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 139, दिनांक 5 फरवरी, 2009 से को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटियां जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

(272-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं 18-ए/क के अन्तर्गत]

परिसमापित गांयत्री महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., राकोदा, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 777, दिनांक 30 नवम्बर, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1557, दिनांक 29 दिसम्बर, 2009 से को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटियां जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

(272-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं 18-ए/क के अन्तर्गत]

परिसमापित अम्बिका महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था, कमलाखेड़ा, जिला रतलाम, जिसका पंजीयन क्रमांक 779, दिनांक 3 दिसम्बर, 2002 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1554, दिनांक 29 दिसम्बर, 2009 से, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटियां जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

मनोज कुमार गुप्ता,
उप-आयुक्त.

(272-H)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बड़ागांव, पंजीयन क्रमांक 1696 दिनांक 6 मई 1931 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./11/858, दिनांक 4 जून, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., उज्जैन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3981/27 जनवरी, 2012 से अवगत कराया गया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बड़ागांव की वसूली दिनांक 30 जून, 2011 की स्थिति पर 67 प्रतिशत हो चुकी है. अत: संस्था का परिसमापन को समाप्त किया जावे. संस्था के आमसभा के प्रस्ताव क्रमांक.....दिनांक 26 मार्च, 2012 के द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का निवेदन किया है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक 858, दिनांक 4 जून, 2011 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बड़ागांव, जिला उज्जैन पंजीयन क्रमांक डी.आर./यू.जे.एन./1696 दिनांक 6 मई, 1931 को पुनर्जीवित करता हूँ. सहकारिता विस्तार अधिकारी खाचरोद को आगामी आदेश तक के लिए संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि प्रभारी अधिकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नियमानुसार समय सीमा में पूर्ण करावें.

यह आदेश आज दिनांक 18 मई, 2012 को कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पानबिहार, पंजीयन क्रमांक 8344, दिनांक 23 फरवरी, 1957 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./11/858, दिनांक 4 जून, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., उज्जैन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3981/27 जनवरी, 2012 से अवगत कराया गया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पानबिहार की वसूली दिनांक 30 जून, 2011 की स्थिति पर 67 प्रतिशत हो चुकी है. अत: संस्था का परिसमापन को समाप्त किया जावे. संस्था के आमसभा के प्रस्ताव क्रमांक.....दिनांक 24 मार्च, 2012 के द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का निवेदन किया है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक 858, दिनांक 4 जून, 2011 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पानबिहार, जिला उज्जैन पंजीयन क्रमांक डी.आर./यू.जे.एन./8344, दिनांक 23 फरवरी, 1957 को पुनर्जीवित करता हूँ. सहकारिता विस्तार अधिकारी, घटिया को आगामी आदेश तक के लिए संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि प्रभारी अधिकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नियमानुसार समय-सीमा में पूर्ण करावें.

यह आदेश आज दिनांक 18 मई, 2012 को कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273-A)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., उण्डासा पंजीयन क्रमांक 1394, दिनांक 1 अप्रैल, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./11/858, दिनांक 4 जून, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., उज्जैन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3981/27 जनवरी, 2012 से अवगत कराया गया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., उण्डासा की वसूली दिनांक 30 जून, 2011 की स्थिति पर 67 प्रतिशत हो चुकी है. अत: संस्था का परिसमापन को समाप्त किया जावे. संस्था के आमसभा के प्रस्ताव क्रमांक.....दिनांक 15 मार्च, 2012 के द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का निवेदन किया है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक 858, दिनांक 4 जून, 2011 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., उण्डासा, जिला उज्जैन पंजीयन क्रमांक डी.आर./यू.जे.एन./1394, दिनांक 1 अप्रैल, 1995 को पुनर्जीवित करता हूँ. सहकारिता विस्तार अधिकारी, उज्जैन को आगामी आदेश तक के लिए संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि प्रभारी अधिकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नियमानुसार समय सीमा में पूर्ण करावें.

यह आदेश आज दिनांक 18 मई, 2012 को कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273-B)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., झिरन्याशेख पंजीयन क्रमांक 513, दिनांक 1 सितम्बर, 1953 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./11/858, दिनांक 4 जून, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., उज्जैन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3981/27 जनवरी, 2012 से अवगत कराया गया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., झिरन्याशेख की वसूली दिनांक 30 जून, 2011 की स्थिति पर 67 प्रतिशत हो चुकी है. अत: संस्था का परिसमापन को समाप्त किया जावे. संस्था के आमसभा के प्रस्ताव क्रमांक.....दिनांक 24 मार्च, 2012 के द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का निवेदन किया है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक 858, दिनांक 4 जून, 2011 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., झिरन्याशेख, जिला उज्जैन पंजीयन क्रमांक डी.आर./यू.जे.एन./513

दिनांक 1 सितम्बर, 1953 को पुनर्जीवित करता हूँ. सहकारिता विस्तार अधिकारी, खाचरौद को आगामी आदेश तक के लिए संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि प्रभारी अधिकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नियमानुसार समय-सीमा में पूर्ण करावें.

यह आदेश आज दिनांक 18 मई, 2012 को कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273-C)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कालूहेड़ा पंजीयन क्रमांक 517, दिनांक 2 जून, 1953 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./11/858, दिनांक 4 जून, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., उज्जैन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3981/27 जनवरी, 2012 से अवगत कराया गया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कालूहेड़ा की वसूली दिनांक 30 जून, 2011 की स्थिति पर 67 प्रतिशत हो चुकी है. अत: संस्था का परिसमापन को समाप्त किया जावे. संस्था के आमसभा के प्रस्ताव क्रमांक.....दिनांक 17 मार्च, 2012 के द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का निवेदन किया है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक 858, दिनांक 4 जून, 2011 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कालूहेड़ा, जिला उज्जैन पंजीयन क्रमांक डी.आर./यू.जे.एन./517, दिनांक 02 जून, 1953 को पुनर्जीवित करता हूँ. सहकारिता विस्तार अधिकारी, घटिया को आगामी आदेश तक के लिए संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि प्रभारी अधिकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नियमानुसार समय-सीमा में पूर्ण करावें.

यह आदेश आज दिनांक 18 मई, 2012 को कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273-D)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पिपलोदा सागोतीमाता, पंजीयन क्रमांक 4989, दिनांक 11 अप्रैल, 1948 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./11/858, दिनांक 4 जून, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., उज्जैन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3981/27 जनवरी, 2012 से अवगत कराया गया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पिपलोदा सागोतीमाता की वसूली दिनांक 30 जून, 2011 की स्थिति पर 67 प्रतिशत हो चुकी है. अत: संस्था का परिसमापन को समाप्त किया जावे. संस्था के आमसभा के प्रस्ताव क्रमांक.....दिनांक 17 मार्च, 2012 के द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का निवेदन किया है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक 858, दिनांक 4 जून, 2011 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पिपलोदा सागोतीमाता, जिला उज्जैन पंजीयन क्रमांक डी.आर./यू.जे.एन./4989, दिनांक 11 अप्रैल, 1948 को पुनर्जीवित करता हूँ. सहकारिता विस्तार अधिकारी, खाचरौद को आगामी आदेश तक के लिए संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि प्रभारी अधिकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नियमानुसार समय-सीमा में पूर्ण करावें.

यह आदेश आज दिनांक 18 मई, 2012 को कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,

(273-E) उप-पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

डाक पंजी. क्र. ग्वालियर डिवीजन
एम.पी.-19- ग्वालियर-2011-13

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2012-ज्येष्ठ 18, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु- स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 फरवरी, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अनूपपुर, उमरिया, मण्डला, डिण्डोरी जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) **0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.**—तहसील जिला अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**— जिला बड़वानी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—

4. **फसल स्थिति.**— जिला सिवनी में ओलावृष्टि से लगभग 70 ग्रामों की रबी फसलों को क्षति व छिन्दवाड़ा में चने की फसल में कहीं-कहीं इल्लियों का प्रकोप है.

5. **कटाई.**—जिला देवास में फसल चना, झाबुआ में गेहूँ, चना व भोपाल, सीहोर में चना, मसूर, तुअर व बैतूल में खरीफ फसल गन्ना, तुअर तथा दमोह, मण्डला में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, सिंगरौली, झाबुआ में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 22 फरवरी, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) बाजरा, सोयाबीन, राई-सरसों, गेहूँ समान.		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी समान.		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन					
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर समान.		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ सुधरी हुई.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, प्याज अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .				
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज सुधरी हुई.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		राई-सरसों, तुअर सुधरी हुई.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर कम. जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		मसूर, सरसों, अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
***जिला रीवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. नईगढ़ी	. .				
8.रायपुरकर्चुलियान	. .				
9. जवा	. .				
10. सेमरिया	. .				
11. मनगवां	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	2.4		अधिक. अरहर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	11.6				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	2.5		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		सरसों, अलसी अधिक. मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) अलसी, राई-सरसों, मटर, मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		. चना, तिवड़ा, गेहूँ, जौ समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		जौ अधिक. तुअर, मसूर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		मटर समान.		
			(2) . .		
***जिला मन्दसौर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुबासराटप्पा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धडका	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) . .		
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) चना, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		आलू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .		(2) . .		
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, आलू अधिक. चना, जौ कम. मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) कपास, गेहूँ, चना समान.		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोबट	..		4. (1) चना कम, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	..	
3. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. कपास, मूँगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..		
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..				
***जिला प. निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वाह	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सनावद	..		(2) ..		
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगोन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड़	..				
9. बरला	..				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		अधिक. गन्ना, चना कम. तुअर	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		समान.		
4. ब्यावरा	..		(2) ..		
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) गेहूँ, चना, मसूर, लाख, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. चना, मसूर की कटाई का	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) ..		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. चना, मसूर, तुअर की	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) तुअर, गन्ना अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी,	..	
3. इछावर	..		जौ समान.		
4. नसरुल्लागंज	..		(2) ..		
5. बुधनी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. रेहटी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) गेहूँ, जौ, चना, मसूर, तिवड़ा	. .	
3. बेगमगंज	. .		(लाख), सरसों, अलसी गन्ना.		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल गन्ना, तुअर	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .	की कटाई का कार्य चालू	4. (1) चना, मसूर अधिक गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .	है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
4. हण्डिया	. .				
5. सिराली	. .				
6. रेहटगांव	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) गेहूँ, अलसी, ज्वार सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		मसूर, मटर सुधरी हुई.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	6.4		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ सुधरी हुई.		
3. नैनपुर	1.0				
4. मण्डला	15.2				
5. घुघरी	13.0				
6. नारायणगंज	1.3				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	2.8		4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. चने की फसल में कहीं-कहीं इल्लियों का प्रकोप है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर, कपास समान.		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ओलावृष्टि से लगभग 70 ग्रामोंकीरबी फसलों को क्षति होने की सूचना प्राप्त हुई है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा					
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा समान.		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, रीवा, शहडोल, मंदसौर, रतलाम, प. निमाड़, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(262)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.